राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1374 दिनांकः 04.02.2026

आदेश

सां. आ. 155/2026 – राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 72 सपठित नियम 68 के उपबन्धों के प्रावधानान्तर्गत सदस्य पदों पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु परिणामों की घोषणा के **तीन दिवस के भीतर** रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार परिणाम संबंधी दस्तावेज राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवाए जाने हैं :–

उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग निर्देश जारी करता है कि

1. संलग्न प्रारूप में निर्वाचित सदस्यों की सूचना मय सॉफ्ट कॉपी। (मंगल फॉन्ट एवं MS Word में)
2. प्ररूप 21 (अंतिम परिणाम पत्रक) की एक मूल प्रति।
3. प्ररूप 22 (परिणाम की घोषणा) की एक मूल प्रति।
4. प्ररूप 23 (निर्वाचन का प्रमाण पत्र) की मूल प्राप्ति रसीद।

रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा परिणाम संबंधी दस्तावेज भिजवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त सभी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर, नाम, पदनाम एवं मोहर अंकित हो। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में उक्त परिणाम संबंधी दस्तावेज आयोग को भिजवा दिए गए हैं।

यह आदेश आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक 4228 दिनांक 21.10.2019 (सां.आ. 126/2019) को अधिक्रमित करते हुए जारी किया जाता है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
4/2/20
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1) नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1375-1380 दिनांक :– 04.02.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन में हेतु ई–गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई–मेल करवाने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।

04-02-2026
(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

प्ररूप – 21

(नियम – 66 देखिये)

अन्तिम परिणाम पत्र

नगरपालिका ....

वार्ड संख्या ....

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	संबद्ध दल	डाले गये मतों की संख्या
1	2	3	4

नोटा (इनमें से कोई नहीं)

डाले गये विधि मान्य मतों की कुल संख्या ....

ऊपर अंकित सारणी के कालम 4 का भाग ....

नोटा को दिये गये कुल मतों की संख्या ....

अस्वीकृत मतों की संख्या ....

निविदत्त मतों की कुल संख्या ....

तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप – 22

परिणाम की घोषणा

(नियम – 68 देखिये)

(वार्डवार भरा जावे)

.... नगरपालिका मण्डल/परिषद/निगम के वार्ड संख्या. .... के स्थान के लिए निर्वाचन के परिणाम को उपदर्शित करने वाली विवरणी गणना की तारीख ....

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	(संबद्ध दल)	डाले गये मतों की संख्या
1	2	3	4

कुल मत ....

डाले गये विधि मान्य मतों की कुल संख्या ....

ऊपर वर्णित सारणी के कालम 4 का योग ....

नोटा (इनमें से कोई नहीं) को डाले गये मतों की कुल संख्या ....

अस्वीकृत मतों की कुल संख्या ....

निविदत्त मतों की कुल संख्या ....

मैं घोषणा करता हूँ कि :–

.... (नाम) ....

.... (पता) वार्ड संख्या .... नगरपालिका मण्डल/नगरपरिषद/नगरनिगम

....के स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है।

स्थान ....

तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी

प्ररूप – 23

(नियम – 71 देखिये)

निर्वाचन का प्रमाण पत्र

नगरपालिका ....

वार्ड संख्या .... के लिए निर्वाचन

मैं, ... के नगरपालिका .... के निर्वाचन के लिए वार्ड संख्या .... का रिटर्निंग अधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने 20.......... के .... (मास) के .... व दिन .... द्वारा खड़े किये गये।

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का नाम)

श्री/श्रीमती .... को उक्त वार्ड से निर्वाचन में सदस्य होने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया है और कि उसके साक्ष्य स्वरूप मैंने यह निर्वाचन प्रमाण पत्र उसे मंजूर किया है।

तारीख ....

स्थान ....

रिटर्निंग अधिकारी के
हस्ताक्षर और मोहर